Volume 2; Issue 1
January to March 2026

E-ISSN: 3049-1134

International Journal of Political Studies

Peer Reviewed   Indexed   Refereed Journal

Quarterly International Research Journal

International Journal of Political Studies
E-ISSN: 3049-1134
https://www.polsci.in
Volume 2; Issue 1; January to March 2026; Page No. 47-60
Peer Reviewed, Indexed and Refereed Journal

ग्रामीण समुदायों में लैंगिक भेदभाव के विविध आयाम : जनपद गोरखपुर के पाली विकासखंड पर आधारित एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

डॉ० देवमणि

असिस्टेंट प्रोफेसर

समाजशास्त्र विभाग

आचार्य नरेंद्र देव किसान पी०जी० कॉलेज

बभनान गोंडा, उत्तर प्रदेश

सारांश

ग्रामीण दलित महिलाओं लैंगिक आधार पर असमानता को समाप्त करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में कोई सार्थक पहल न करके यथास्थिति बनाए रखने की कुटिल राजनीति की गई है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव हाशिए पर रखी गई जातियों विशेषतः ग्रामीण दलित महिलाओं के जीवन पर पड़ा है, जिसे आजादी के बाद भी आंकड़ों के खेल द्वारा ढंकने का प्रयास किया जाता रह है। ग्रामीण समुदायों में दलित महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीण भारत में दलित महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। यह भेदभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी उनके सशक्तिकरण में बाधा डालता है। इस शोध का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में दलित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के विभिन्न रूपों, इसके कारणों और परिणामों का अध्ययन करना है। यह शोध आलेख न केवल दलित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास भी सिद्ध होगा।

मुख्य शब्द: ग्रामीण समुदाय, लैंगिक भेदभाव, गोरखपुर.

ग्रामीण दलित महिलाओं लैंगिक आधार पर असमानता को समाप्त करने के लिए शैक्षणिक व्यवस्था में कोई सार्थक पहल न करके यथास्थिति बनाए रखने की कुटिल राजनीति की गई है, जिसका सबसे बुरा प्रभाव हाशिए पर रखी गई जातियों विशेषतः ग्रामीण दलित महिलाओं के जीवन पर पड़ा है, जिसे आजादी के बाद भी आंकड़ों के खेल द्वारा ढंकने का प्रयास किया जाता रह है। ग्रामीण समुदायों में दलित महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव समाजशास्त्रीय अध्ययन का एक महत्वपूर्ण विषय है। ग्रामीण भारत में दलित महिलाओं को लैंगिक भेदभाव का सामना करना पड़ता है, जिसके कारण शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित होना पड़ता है। यह भेदभाव न केवल व्यक्तिगत स्तर पर, बल्कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से भी उनके सशक्तिकरण में बाधा डालता है। इस शोध का उद्देश्य ग्रामीण समुदायों में दलित महिलाओं के खिलाफ भेदभाव के विभिन्न रूपों, इसके कारणों और परिणामों का अध्ययन करना है। यह शोध आलेख न केवल दलित महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करेगा, बल्कि सामाजिक न्याय और समानता की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण प्रयास भी सिद्ध होगा।

भारतीय ग्रामीण समाज की संरचना सदियों से जाति, वर्ग और लिंग के जटिल अंतर्संबंधों से निर्मित हुई है। इस त्रिस्तरीय संरचना में 'दलित महिला' की स्थिति सर्वाधिक चुनौतीपूर्ण और विडंबनापूर्ण रही है।भारतीय सामाजिक संरचना में जाति और लिंग (Gender) दो ऐसे स्तंभ हैं, जो व्यक्ति की सामाजिक प्रस्थिति और अधिकारों का निर्धारण करते हैं। ग्रामीण भारत में यह स्तरीकरण और भी जटिल हो जाता है, जहाँ परंपराएं और पितृसत्तात्मक मूल्य आज भी आधुनिक लोकतांत्रिक मूल्यों के साथ संघर्षरत हैं। इस परिप्रेक्ष्य में, दलित महिलाओं की स्थिति अत्यंत संवेदनशील है क्योंकि वे 'दोहरे भेदभाव' की शिकार हैं—पहला एक 'दलित' होने के नाते जातिगत स्तर पर और दूसरा 'महिला' होने के नाते लैंगिक स्तर पर। समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से देखें तो दलित महिलाओं का उत्पीड़न केवल आर्थिक या सामाजिक नहीं है, बल्कि यह 'पदानुक्रमित पितृसत्ता' का परिणाम है, जहाँ उन्हें एक साथ जातिगत भेदभाव और लैंगिक असमानता का सामना करना पड़ता है। जनपद गोरखपुर का पाली विकासखंड, जो अपनी कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था और पारंपरिक सामाजिक मूल्यों के लिए जाना जाता है, इस अध्ययन का केंद्र बिंदु है, जहाँ आधुनिकता और परंपरा के बीच एक गहरा द्वंद्व दिखाई देता है।

ऐतिहासिक रूप से, भारतीय समाज में दलितों को 'अस्पृश्यता' और सामाजिक बहिष्कार के माध्यम से हाशिए पर रखा गया। डॉ. बी.आर. अंबेडकर ने रेखांकित किया था कि "जाति व्यवस्था केवल श्रम का विभाजन नहीं, बल्कि श्रमिकों का श्रेणीबद्ध विभाजन है।" इस श्रेणीबद्धता में दलित महिलाओं को सबसे निचले पायदान पर

रखा गया, जिससे वे न केवल सार्वजनिक संसाधनों से वंचित हुईं; बल्कि उनके आत्म-सम्मान और मानवाधिकारों का भी निरंतर हनन हुआ। आज भी, 21वीं सदी के तीसरे दशक में, जब भारत एक वैश्विक शक्ति बनने की ओर अग्रसर है, ग्रामीण अंचलों में दलित महिलाओं की स्थिति 'आंकड़ों के मायाजाल' में उलझी हुई है।

पाली विकासखंड के विशेष संदर्भ में, लैंगिक भेदभाव के विविध आयाम स्पष्ट रूप से परिलक्षित होते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में नामांकन तो बढ़ा है, किंतु 'ड्रॉपआउट' दर और उच्च शिक्षा तक पहुंच अभी भी चिंताजनक है। आर्थिक स्तर पर, अधिकांश दलित महिलाएं कृषि मजदूर के रूप में कार्यरत हैं, जहाँ उन्हें पुरुषों की तुलना में कम मजदूरी मिलती है और कार्यस्थल पर सुरक्षा व सम्मान का अभाव रहता है। इसके अतिरिक्त, 'घरेलू निर्णय प्रक्रिया' में उनकी भूमिका नगण्य है। संपत्ति के अधिकार और विरासत जैसे कानूनी प्रावधान कागजों तक सीमित हैं, जबकि व्यवहार में पितृसत्तात्मक मानदंड ही प्रभावी हैं।

माथुर, दीपा (1992), ने अपने अध्ययन **'वूमन फैमिली एंड वर्क'** विवाहित शहरी महिलाओं और उनकी गृहिणी और कामकाजी महिलाओं की बहुल भूमिका में समायोजित व सामंजस्य का विश्लेषण किया है। **मिश्रा, ए०डी० (1994),** ने अपने अध्ययन **'प्रॉब्लम्स एंड प्रॉस्पेक्टस ऑफ वर्किंग विमेन इन अर्बन इंडिया'** कामकाजी मध्यवर्गीय शहरी महिलाओं की समस्याओं पर ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्य में प्रकाश डालते हुए कहा है कि महिलाओं की समस्याओं पर कम ध्यान दिया जाता है। **मेत्रा,अंजना (1985)** ने अपने **'अध्ययन वूमन इन चेंजिंग सोसाइटी'** में पाया कि महिलाओं द्वारा निभाई जाने वाली बहुआयायामी भूमिका पर बल दिया है। साथ ही विविध विषयों यथा, समाज में महिला स्वतंत्रता, महिला प्रस्थिति, शहरी महिलाओं की समस्याएं एवं परिदृश्य तथा कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न आदि पर प्रकाश डाला है। **पॉल, बी०के० (1987)** ने अपने अध्ययन **'प्रॉब्लम्स एंड कंसर्नस ऑफ इंडियन वूमेन'** महिलाओं के सामने कठिन परिश्रम के बावजूद आने वाली बहुत-सी समस्याओं यथा, अनुचित न्याय, सामंती लोकाचार, सामाजिक पिछड़ापन, पूंजीवादी व्यवस्था, धार्मिक अंधविश्वास एवं सामाजिक संकुचनशीलता पर प्रकाश डाला है। **महाजन, धर्मवीर, एवं महाजन, कमलेश (1996),** ने अपने अध्ययन **'कंटेंपरेरी इंडियन वूमेन'** नामक छ: खंडों वाली पुस्तक में महिलाओं से जुड़े वर्तमान में महत्वपूर्ण मुद्दों यथा, महिलाओं का विकास, हिंसा, शोषण वह महिला अधिकार, महिलाओं की सामाजिक प्रस्थिति एवं उत्तरदायी तत्वों, महिलाओं की राजनीति भागीदारी, शिक्षा में बदलती भूमिका एवं उभरती समस्याएं इत्यादि पर प्रकाश डाला है। **साकिया,पी०डी० (2016),** ने अपने अध्ययन **'इंडियन रूरल वूमेन'** में उत्तर पूर्वी देश की ग्रामीण महिलाओं का आंतरिक व्याख्यान प्रस्तुत किया है। उनकी ऐसी मान्यता है कि समाज में

महिलाओं का स्तर चाहे जो हो विकसित देश हो या विकासशील देश पुरुषों से कमतर ही है। उनका अध्ययन असम की महिलाओं के व्यस्त 14 घंटे के कठिन परिश्रम व कड़ी मजदूरी पर प्रकाश डालता है। **जनरल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड ऑर्गेनाइजेशन** में प्रकाशित एक शोध में सामने आया है कि सरकार में महिलाओं की भागीदारी होने से भ्रष्टाचार कम होता है। 125 देशों में हुए शोध से पता चलता है कि जिन देशों की संसद में महिलाएं ज्यादा हैं, वहां भ्रष्टाचार कम हो गया है।

अध्ययन की आवश्यकता

दलित महिलाओं को अक्सर शिक्षा, स्वास्थ्य, और आर्थिक अवसरों तक सीमित पहुंच होती है, जिससे वे सामाजिक-आर्थिक रूप से पिछड़ी रहती हैं। दलित महिलाओं को यौन, और मानसिक उत्पीड़न का खतरा अधिक होता है, और उन्हें न्याय मिलने में भी कठिनाई होती है। पंचायत और अन्य राजनीतिक निकायों में दलित महिलाओं की भागीदारी कम होती है, जिससे उनके मुद्दों को प्रभावी ढंग से उठाया नहीं जाता । सरकार द्वारा दलित महिलाओं के लिए चलाई जा रही योजनाओं और नीतियों का पर्याप्त कार्यान्वयन नहीं हो पाता है, जिससे उन्हें लाभ नहीं मिल पाता है। दलित महिलाओं को उनके अधिकारों और उपलब्ध संसाधनों के बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं होती, जिससे वे अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए आवश्यक कदम नहीं उठा पाती हैं। पारंपरिक सामाजिक मानदंड, जैसे कि बाल विवाह, दहेज, और पर्दा प्रथा, दलित महिलाओं के विकास में बाधा डालते हैं।

समस्या का कथन

ग्रामीण भारत में दलित महिलाओं के खिलाफ लैंगिक भेदभाव एक गंभीर सामाजिक समस्या है। यह भेदभाव उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार और सामाजिक न्याय जैसे बुनियादी अधिकारों से वंचित करता है। दलित महिलाओं को अक्सर निम्न स्तर के काम करने के लिए मजबूर किया जाता है और उन्हें हिंसा, उत्पीड़न और भेदभाव का सामना करना पड़ता है। इस प्रकार प्रस्तुत शोध आलेख का प्रमुख उद्देश्य भेदभाव के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करना और दलित महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए संभावित समाधानों की पहचान करना है। अतः इस लेख का उद्देश्य है की दलित महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी के अवसर संबंधी स्थिति का पता लगाना। दलित महिलाओं को घर के फैसलों में समान रूप से शामिल किये जाने संबंधी स्थिति को ज्ञात करना। दलित महिलाओं को पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में भागीदारी संबंधी स्थिति को ज्ञात करना। दलितों में जातिगत भेदभाव के कारणों और परिणामों का विश्लेषण करना।

शोध विधि

प्रस्तुत शोध आलेख में मुख्य रूप से अन्वेषणात्मक एवं वर्णनात्मक शोध विधि का उपयोग करते हुए वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के आधार पर सूक्ष्म एवं वैज्ञानिक अध्ययन का प्रयास किया गया है। प्राथमिक सामग्री के संग्रहण हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रश्नावली विधि का प्रयोग किया गया है जबकि द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु विभिन्न शोध पत्रों, शोध प्रबंधों, दैनिक समाचार पत्रों, मासिक पत्र पत्रिकाओं एवं इंटरनेट आधारित सूचनाओं का उपयोग किया गया है।

न्यायदर्श का चयन

प्रस्तुत शोध आलेख में अध्ययनकर्ता द्वारा जनपद गोरखपुर के पाली विकासखंड के चार प्रमुख गांवों यथा, मुजौली, टिकरिया पाली माड़र की विभिन्न सरकारी एवं गैर सरकारी संगठनों में कार्यरत महिलाओं के अलावा कृषक मजदूर एवं गृहिणी ग्रामीण महिलाओं को न्यायदर्श के रूप में चुना गया है।

अध्ययन क्षेत्र

पाली विकासखंड की भौगोलिक स्थिति

निदर्शन

अध्ययन क्षेत्र से प्राथमिक सूचनाओं के संकलन हेतु पाली विकासखंड के अंतर्गत आने वाले मुजौली, टिकरिया पाली तथा माड़र ग्राम सभा से समान अनुपात में 45-45 महिला उत्तरदाताओं को सूचनादाता के रूप में चुना गया हैं। इस प्रकार दैव निदर्शन विधि के आधार पर कुल 180 महिलाओं को उत्तरदाता के रूप में चुना गया है।

तथ्यों का संकलन

प्रस्तुत शोध आलेख में लैंगिक असमानता के विचारों की वर्तमान संदर्भ में प्रासंगिकता हेतु प्राथमिक सामग्री के संग्रहण हेतु साक्षात्कार अनुसूची एवं प्रश्नावली का प्रयोग किया गया है एवं द्वितीयक आंकड़ों के संकलन हेतु विभिन्न सरकारी आंकड़ों, समाचार-पत्रों, पत्र-पत्रिकाओं, शोध जर्नलों एवं शोध प्रबंधों का प्रयोग किया गया है।

तथ्यों का वर्गीकरण सारणीयन एवं विश्लेषण

प्रस्तुत शोध आलेख में साक्षात्कार अनुसूची से प्राप्त अव्यवस्थित तथ्यों को व्यवस्थित कर उनका वर्गीकरण, सारणीयन एवं विश्लेषण किया गया है।

तालिका क्रमांक-01

उत्तरदाताओं की लैंगिक स्थिति

क्रम सं०	**लैंगिक स्थिति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत (%)**
01.	महिला	138	76.66
02.	पुरुष	42	23.34
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-01 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 138 (76.66%) उत्तरदाता महिला हैं, जबकि 42 (23.34%) पुरुष हैं। इस प्रकार तालिका क्रमांक-01 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता महिला हैं।

तालिका क्रमांक-02

क्रम सं०	**आयु वर्ग**	**संख्या**	**प्रतिशत (%)**
01.	18 से 25 वर्ष	42	23.34
02.	उत्तरदाताओं की आयु संबंधी स्थिति 26 से 35 वर्ष	71	39.44
03.	40 से 55 वर्ष	67	37.22
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-02 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में से 42 (23.34%) उत्तरदाता 18 से 25 आयु वर्ष के हैं, 71(39.44%) 26 से 35 आयु वर्ष के, जबकि 67 (37.22%) 40 से 55 वर्ष आयु वर्ष के हैं। इस प्रकार तालिका क्रमांक-02 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि चयनित उत्तरदाताओं में 71(39.44%) 26 से 35 आयु वर्ग के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं।

तालिका क्रमांक- 03

उत्तरदाताओं की परिवारिक स्थिति

क्रम सं०	परिवार का स्वरूप	संख्या	प्रतिशत (%)
01.	संयुक्त परिवार	127	70.55
02.	केंद्रीय परिवार	53	29.45
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक -03 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में से 127 (70.55%) उत्तरदाता ऐसे जो संयुक्त परिवार में विश्वास करते हैं जबकि 53 (29.45%) लोग एकाकी परिवार का समर्थन करते हैं। इस प्रकार तालिका क्रमांक-03 के विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 127 (70.55%)संयुक्त परिवार में विश्वास करते हैं, जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-04

उत्तरदाताओं की शैक्षणिक स्थिति

क्रम सं०	शिक्षा का स्तर	संख्या	प्रतिशत(%)
01.	निरक्षर	21	11.66
02.	साक्षर	25	13.88
03.	प्राथमिक स्तर	35	19.45
04.	माध्यमिक स्तर	49	27.23
05.	हाईस्कूल स्तर	50	27.78
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-04 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में से 21(11.66%) उत्तरदाता निरक्षर, 25 (13.88%) साक्षर, 35(19.45%) प्राथमिक स्तर, 49 (27.23%) माध्यमिक स्तर,

50 (27.78%) हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं। इस प्रकार तालिका क्रमांक-04 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 50 (27.78%) हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं, जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-05

क्या आपके गांव में दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव किया जाता है?

क्रम सं०	मनोवृत्ति	संख्या	प्रतिशत (%)
01.	हां	87	48.34
02.	नहीं	69	38.33
03.	कह नहीं सकते	24	13.33
	कुल योग	180	100.00

तालिका क्रमांक-05 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव को 87 (48.34%) लोगों ने माना जबकि 69 (38.33%) ने नही माना, 24(13.33%) ने कहा कह नहीं सकते। इस प्रकार तालिका क्रमांक-05 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 87 (48.34%) दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव को माना, जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-06

क्या महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी के अवसर मिलते हैं?

क्रम सं०	मनोवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01.	हां	148	82.22
02.	नहीं	32	17.78
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-06 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 148 (82.22%) लोगो ने माना कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी के अवसर मिले है, जबकि 32(17.78%) ने नही माना है। इस प्रकार तालिका क्रमांक-06 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 148 (82.22%)

लोगो ने माना कि महिलाओं को पुरुषों के समान शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा और नौकरी के अवसर मिले है,जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-07

क्या महिलाओं को पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिलता है?

क्रम सं०	मनोवृति	आवृत्ति	प्रतिशत
01.	हां	117	65.00
02.	नहीं	63	35.00
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-07 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 117(65%) लोगों ने माना कि महिलाओं को पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिला है, जबकि 63(35%) नही माना है। इस प्रकार तालिका क्रमांक-07 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 117(65%) लोगों ने माना कि महिलाओं को पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिला है, ,जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-08

क्या महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने या जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता है?

क्रम सं०	मनोवृत्ति	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01.	हां	07	3.88
02.	नहीं	173	96.12
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-08 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 173 (96.12%) लोगों ने माना कि महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने या जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नही है, जबकि 07(3.88%) लोगों ने माना कि है। इस प्रकार तालिका क्रमांक-08 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 173

(96.12%) लोगों ने माना कि महिलाओं को अपनी मर्जी से शादी करने या जीवन साथी चुनने की स्वतंत्रता नही है,जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-09

क्या महिलाओं को संपत्ति और विरासत में समान अधिकार प्राप्त हैं?

क्रम सं०	**मनोवृत्ति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत (%)**
01.	हां	13	7.23
02.	नहीं	167	92.77
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-09 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 167 (92.77%) लोगों ने माना कि महिलाओं को संपत्ति और विरासत में समान अधिकार प्राप्त नही हैं, जबकि 13 (7.23 %) ने माना कि है। इस प्रकार तालिका क्रमांक-09 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 167 (92.77%) लोगों ने माना कि महिलाओं को संपत्ति और विरासत में समान अधिकार प्राप्त नही हैं, जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-10

क्या दलित महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सेवाओं का लाभ उठाने में भेदभाव किया जाता है?

क्रम सं०	**मनोवृत्ति**	**आवृत्ति**	**प्रतिशत(%)**
01.	हां	129	71.66
02.	नहीं	33	18.34
03.	कह नहीं सकते	18	10.00
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-10 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 129 (71.66%) लोगों ने माना कि दलित महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ देने में भेदभाव होता है जबकि 33 (18.34%) ने नही माना,18 (10 %) ने कहा कि कह नहीं सकते। इस प्रकार तालिका क्रमांक- 10 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 129 (71.66%) लोगों ने माना कि दलित महिलाओं को सरकारी योजनाओं और सेवाओं के लाभ देने में भेदभाव होता है, जो कि सर्वाधिक है।

तालिका क्रमांक-11

क्या आप सहमत हैं कि आज भी दलितों को उच्च प्रस्थिति प्राप्त लोगों द्वारा अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है?

क्रम सं०	मनोवृति	आवृत्ति	प्रतिशत (%)
01.	हां	108	60.00
02.	नहीं	61	33.88
03.	कह नहीं सकते	11	6.12
	कुल योग	180	100.00%

तालिका क्रमांक-11 के विश्लेषण से ज्ञात होता है कि चयनित 180 उत्तरदाताओं में 108 (60%) लोगों ने माना कि आज भी दलितों को उच्च प्रस्थिति प्राप्त लोगों द्वारा अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है, जबकि 61(33.88%) ने नही माना तथा 11(6.12%) ने कहा कि कह नहीं सकते। इस प्रकार तालिका क्रमांक- 11 से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि 108 (60%) लोगों ने माना कि आज भी दलितों को उच्च प्रस्थिति प्राप्त लोगों द्वारा अपमानित और प्रताड़ित किया जाता है, जो कि सर्वाधिक है।

निष्कर्ष

जनपद गोरखपुर के पाली विकासखंड पर आधारित यह समाजशास्त्रीय अध्ययन स्पष्ट करता है कि ग्रामीण दलित महिलाओं की स्थिति आज भी 'दोहरी गुलामी' और 'दोहरे भेदभाव' के चक्रव्यूह में फंसी हुई है। उपरोक्त अध्ययन एवं विश्लेषण से यह निष्कर्ष प्राप्त होता है कि सर्वाधिक उत्तरदाता महिला हैं। 26 से 35 आयु वर्ग

के उत्तरदाता सर्वाधिक हैं। सर्वाधिक उत्तरदाता संयुक्त परिवार और हाईस्कूल स्तर तक शिक्षा प्राप्त हैं। दलित महिलाओं और लड़कियों के साथ भेदभाव सर्वाधिक है। 82.22% उत्तरदाताओं ने समान शिक्षा और स्वास्थ्य के अवसरों की बात स्वीकार की है, 117 (65%) महिलाओं को पंचायत या अन्य स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व मिला है,जो कि सर्वाधिक है। तालिका क्रमांक-08 और 09 इस शोध के सबसे चिंताजनक पहलू को उजागर करती हैं। 96.12% महिलाओं को अपना जीवनसाथी चुनने की स्वतंत्रता नहीं है और 92.77% महिलाओं को संपत्ति में अधिकार प्राप्त नहीं है। यह सिद्ध करता है कि पितृसत्तात्मक ढांचा आज भी दलित महिलाओं के जीवन के निजी और आर्थिक फैसलों पर हावी है। तालिका क्रमांक-10 और 11 यह दर्शाती हैं कि 71.66% महिलाएं आज भी सरकारी योजनाओं में भेदभाव और 60% महिलाएं उच्च जातियों द्वारा अपमान का सामना कर रही हैं। यह विरोधाभास दर्शाता है कि बुनियादी सुविधाएं तो पहुँच रही हैं, लेकिन 'सामाजिक सम्मान' और 'समानता' का अभाव है।

सुझाव

अध्ययन के निष्कर्षों के आधार पर ग्रामीण समुदायों में लैंगिक भेदभाव की स्थिति में सुधार हेतु निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत हैं:

कानूनी जागरूकता अभियान: दलित महिलाओं को संपत्ति के अधिकार और विवाह संबंधी स्वतंत्रता के कानूनी प्रावधानों (जैसे हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम) के प्रति जागरूक करने के लिए ब्लॉक स्तर पर विशेष शिविर लगाए जाने चाहिए।

आर्थिक स्वावलंबन और कौशल विकास: केवल कृषि मजदूरी पर निर्भरता कम करने के लिए पाली विकासखंड में 'स्वयं सहायता समूहों' (SHGs) को मजबूत किया जाए और महिलाओं को गैर-कृषि आधारित लघु उद्योगों (जैसे सिलाई, खाद्य प्रसंस्करण) से जोड़ा जाए।

राजनीतिक प्रशिक्षण: पंचायत में चुनी गई दलित महिलाओं के लिए विशेष कार्यशालाएं आयोजित की जाएं ताकि वे पुरुष हस्तक्षेप के बिना स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और अपनी शक्तियों का प्रयोग कर सकें।

भेदभाव विरोधी निगरानी तंत्र: विकासखंड स्तर पर एक 'विशेष सतर्कता प्रकोष्ठ' बनाया जाए जो सरकारी योजनाओं (जैसे मनरेगा, आवास योजना) में दलित महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव की शिकायतों का त्वरित निस्तारण करे।

शिक्षा का गुणात्मक सुधार: केवल साक्षरता या हाईस्कूल तक की शिक्षा पर्याप्त नहीं है। दलित बालिकाओं के लिए व्यावसायिक और उच्च शिक्षा के प्रोत्साहन हेतु विशेष छात्रवृत्ति और छात्रावास की सुविधा ग्रामीण क्षेत्रों में **अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराई जानी चाहिए।**

सामाजिक व्यवहार परिवर्तन (BCC): ग्रामीण समाज में उच्च जातियों और स्वयं दलित समुदाय के पुरुषों के बीच लैंगिक संवेदनशीलता बढ़ाने के लिए सामाजिक आंदोलनों और विमर्श की आवश्यकता है, जिससे 'सम्मान की संस्कृति' विकसित हो सके।

संदर्भ

अच्छेलाल प्रजापति: लैंगिक और जातिगत भेदभाव व शिक्षा की राजनीति की शिकार दलित-बहुजन महिलाएं फॉरवर्ड प्रेस, 6अक्टूबर, 2023

डॉ० राजू, पाण्डे (2021):, भारत में आर्थिक असमानता : जाति और लैंगिक आधार पर भी समझने की जरूरत, न्यूज क्लिक डॉट कॉम

भारतीय समाज: जाति आधारित भेदभाव, 27 फ़रवरी 2023 https:// www.drishtiias.com

कमला भसीन: लिंग को समझना, नई दिल्ली: काली फॉर वीमेन, 2000

रूथ लिस्टर, 'नागरिकता: नारीवादी संश्लेषण की ओर,' नारीवादी समीक्षा 57 (1997).28-48

ए. इरुदयम, जे. मंगूभाई, और जे. ली, 'दलित महिलाएं बोलती हैं: भारत में जाति, वर्ग, लिंग हिंसा,' जुबान (2014)।

जी. शाह, एच. मंदर, एस. थोराट, एस. देशपांडे, और ए. बाविस्कर, ग्रामीण भारत में अस्पृश्यता (नई दिल्ली: सेज पब्लिकेशंस, 2006)।

निधि एस. सभरवाल, 'दलित महिलाओं पर एक नज़र', जैन देवकी और सीपी सुजया (संपादक), भारतीय महिला पुनरीक्षण (नई दिल्ली: प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, 2014) 61-90।

सुखदेव थोरात, भारत में दलित: एक साझा नियति की खोज (नई दिल्ली: सेज, 2009)।

सुखदेव थोरात और निधि एस. सभरवाल (संपादक), ब्रिजिंग द सोशल गैप: पर्सपेक्टिव्स ऑन दलित एम्पावरमेंट (नई दिल्ली: सेज, 2014)।

सिल्विया वाल्बी (1990), पितृसत्ता का सिद्धांत, बेसिल ब्लैकवेल, ऑक्सफोर्ड। पृ.14

बेल हुक्स (1984), नारीवादी सिद्धांत: मार्जिन से केंद्र तक, साउथ एंड प्रेस, बोस्टन।

शर्मिला रेगे (2006), राइटिंग कास्ट, राइटिंग जेंडर, जुबान बुक्स, नई दिल्ली।

गोपाल गुरु (1995), "दलित महिलाएँ अलग तरह से बात करती हैं", आर्थिक और राजनीतिक साप्ताहिक खंड 30, संख्या 41/42 (14-21 अक्टूबर, 1995), पृष्ठ 2548-2550